

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 143/2024

वादी :-

श्रीमति भंवरीदेवी पत्नी स्व. लिखमराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी
बेरा भेवरिया ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तेजाराम पुत्र स्व. लिखमराम जाति सीरवी निवासी बेरा भेवरिया ग्राम
बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. लिखमराम जाति सीरवी निवासी बेरा भेवरिया ग्राम
बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
4. शाखा प्रबन्धक विजया बैंक शाखा बिलाडा जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत खातेदारी घोषणा हेतु

उपस्थिति:-वादी- श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 - स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 3 सरकारी परोकार।

निर्णय

दिनांक:- 4/3/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम राजस्व
ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा
संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या
2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2621
रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.
1375 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993
हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर
किस्म चाही अलीफ, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर
आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज
इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम का 1/10 व० हिस्सा
दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से
सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा
की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479
हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर
किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.
मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर आई हुई है।
जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज अनुसार
सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम व अन्य दर्ज हिस्सेदार की संयुक्त
खातेदारी की भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि
भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील
बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 68 रकबा 0.0243
हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 69 रकबा 0.2184 हैक्टेयर किस्म
चाही तृतीय, खसरा संख्या 96 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय,
खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या

सहायक कलक्टर

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम का 1/26 व० हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि सी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर आई हुई है। जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम व अन्य दर्ज हिस्सेदार की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि डी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम का 1/20 व० हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ई से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई में से खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम द्वारा अपना वाद पत्र के पद संख्या 1 से 5 में वर्णित निहित व दर्ज हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई के सम्बंध में वादी के पक्ष में दिनांक 25.04.2017 को वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसमें खातेदार तुलछाराम के कहने से साखकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम व प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लिखमाराम द्वारा अपनी साख डाली व साख के रूप में उक्त वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर निशान किये। उक्त वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक जोधपुर द्वारा तस्दीक किया गया। खातेदार तुलछाराम का स्वर्गवास दिनांक 25.06.2017 को हो गया। खातेदार तुलछाराम फौत होने पर कानूनन वादीया के पक्ष में खातेदार तुलछाराम द्वारा निष्पादित उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई में खातेदार तुलछाराम के निहित व दर्ज हिस्सा के सम्बंध में कानूनन हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदार तुलछाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा वाद पत्र के संख्या 1 से 5 में वर्णित हिस्से की भूमि पर वादीया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया द्वारा खातेदार तुलछाराम फौत होने पर खातेदार तुलछाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई में उसके निहित व दर्ज हिस्से के सम्बंध में वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि वसीयतनामा अपंजीबद्ध है इसलिए वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन हेतु आवेदन वादीया को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष करना पड़ेगा तथा साखकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बयान भी प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष करवाने पड़ेगे तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन दर्ज किये जाने के आदेश पारित करेंगे तब म्यूटेशन दर्ज होगा। तब वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन हेतु आवेदन के पूर्व वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क किया तथा उनको बताया कि मैं वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन हेतु प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आवेदन कर रही हूँ तथा आपने वसीयत में अपनी साख डाली है इसलिए आपको प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष पेश होकर बयान देने होंगे। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष पेश होकर बयान देने से मना कर दिया। जबकि वसीयतनामा दिनांक 25.04.



सहायक कलेक्टर
एवं उप खास अधिकारी
बिलाड़ा

2017 के आधार पर वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने की कानूनन अधिकारी हो गयी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई के सम्बंध में वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण खातेदार तुलछाराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई में निहित व दर्ज उसके वाद पत्र के पद संख्या 1 से 5 में वर्णित हिस्से के सम्बंध में वादीया के पक्ष में दिनांक 25.04.2017 को वसीयतनामा निष्पादित करने से, खातेदार तुलछाराम का स्वर्गवास दिनांक 25.06.2017 को होने पर उक्त वसीयतनामा कानूनन प्रभाव में आने से व वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा भूमि के सम्बंध में वादीया को कानूनन हक व अधिकार प्राप्त होने से, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने बयान प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष पेश होकर देने से मना करने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन दर्ज किये जाने का आवेदन नहीं किया जबकि वादीया वसीयतसुदा वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई की कानूनन खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी होने से बमुकाम् ग्राम बिलाडा चक नं. 4, बिंजवाडिया व बरना, तहसील बिलाडा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। वादीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी ई के अन्य दर्ज सहखातेदारों को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। क्योंकि वादीया द्वारा उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्रस्तुत वाद में नहीं चाहा है, इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

अतः प्रार्थना वादी यह है कि दावा वादीया बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2621 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर में से 1/10 व० हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 68 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 96 रकबा 0.2184 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर में



राजस्थान सरकार
एवं उप राज्य अधिकारी
बिलाडा

से 1/26 व० हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 1/20 व० हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। अन्य दादरसी जो वादी के हित में हो सादिर फरमायी जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की तरफ से स्वयं या उनके प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुए जिसके प्रमाण के रूप में आदेशिका में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया श्रीमति भंवरीदेवी पत्नी स्व. श्री लिखमराम, आयु 71 वर्ष जाति खारड़िया (सीरवी), निवासी बेरा भेवरिया, ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. व प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम पुत्र स्व. श्री लिखमराम, जाति सीरवी, निवासी बेरा भेवरिया, ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा, प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लिखमराम, जाति सीरवी, निवासी बेरा भेवरिया, ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी सपट्टित धारा 151 सीपीसी बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2621 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम का 1/10 व० हिस्सा दर्ज है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर आई हुई है। जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमराम व अन्य दर्ज हिस्सेदार की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या

68 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 69 रकबा 0.2184 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 96 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम का 1/26 व० हिस्सा दर्ज है। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर आई हुई है। जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम व अन्य दर्ज हिस्सेदार की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जिसमें चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज इन्द्राज अनुसार सहखातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम का 1/20 व० हिस्सा दर्ज है। खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम द्वारा इस राजीनामा के पद संख्या 1 से 5 में वर्णित निहित व दर्ज हिस्सा की भूमि के सम्बंध में वादी के पक्ष में दिनांक 25.04.2017 को वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसमें खातेदार तुलछाराम के कहने से साखकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम व प्रक्तिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लिखमाराम द्वारा अपनी साख डाली व साब के रूप में उक्त वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर निशान किये। उक्त वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक जोधपुर द्वारा तस्दीक किया गया। खातेदार तुलछाराम का स्वर्गवास दिनांक 25.06.2017 को हो गया। खातेदार तुलछाराम फौत होने पर कानूनन वादीया के पक्ष में खातेदार तुलछाराम द्वारा निष्पादित उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीया को इस राजीनामा के पद संख्या 1 से 5 में वर्णित खातेदार तुलछाराम के निहित व दर्ज हिस्सा की भूमि के सम्बंध में कानूनन हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदार तुलछाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा भूमि पर वादीया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार तुलछाराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादीया के पक्ष में राजीनामा के पद संख्या 1 से 5 में वर्णित उनके निहित व दर्ज हिस्से की भूमि के सम्बंध में वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार घोषित किये जाने हेतु इस राजीनामा के जरिये वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के आधार पर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2621 रकबा 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर में से 1/10 वां हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे।

इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 68 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 69 रकबा 0.2184 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 96 रकबा 1.4238 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय, खसरा संख्या 99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर में से 1/26 वा हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर किस्म बरानी प्रथम में से 1/20 वा हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे तथा तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित दोनों ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनों ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता मदनलाल चौधरी द्वारा दी गयी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका में हस्ताक्षर करवाये गये एवं अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामों के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीया का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीया का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीया तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा

संख्या 2621 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर में से 1/10 वां हिस्सा व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 68 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 69 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 1.4238 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर में से 1/26 वा हिस्सा व राजस्व ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर तथा राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर में से 1/20 वा हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलथुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 4/3/21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा
न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(मदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इस्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण :-
भंवरी देवी

बनाम

प्रतिवादीगण :-

तेजाराम वगैरा


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :- 143/2024

निर्णय

दिनांक :- 4/3/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2614 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2618 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2621 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2629 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2636 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2641 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 1.1893 हैक्टेयर में से 1/10 वां हिस्सा व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2625 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2628 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2632 रकबा 0.1375 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 0.5259 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 68 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 69 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा संख्या 96 रकबा 1.4238 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा संख्या 99 रकबा 8.1062 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 10.5251 हैक्टेयर में से 1/26 वां हिस्सा व राजस्व ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 71 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1779 हैक्टेयर तथा राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1327 रकबा 2.3299 हैक्टेयर में से 1/20 वां हिस्सा के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 25.04.2017 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में खातेदार तुलछाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। पत्रावली फैसलथुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।




(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/3/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा गवाहान		
बाबत् इजराज			फीस कमिश्नर		
हुक्मनामा			बाबत् हुराय		
मुतफरिक			हुक्मनामा		
			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो,या नही, दर्ज करना चाहिये।



Wd ✓
 (मृदुला शेखावत)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा